रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042025-262579
CG-DL-E-21042025-262579

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 21, 2025/वैशाख 1, 1947
No. 204] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 21, 2025/VAISAKHA 1, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2025

सं. 01/2025- सीमा शुल्क (एसजी)

सा.का.नि. 243(अ).— जबकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 अथवा 7226 के अंतर्गत आने वाले "गैर-मिश्रित धातु और मिश्रित धातु इस्पात फ्लैट उत्पादों" अर्थात् (ए) हॉट रोल्ड कॉइल, शीट और प्लेटें, (बी) हॉट रोल्ड प्लेट मिल प्लेट्स, (सी) कोल्ड रोल्ड कॉइल और शीट, (डी) धातु लेपित स्टील कॉइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं, गैल्वेनियल सहित, जिंक या एल्यूमीनियम-जस्ता या जिंक-एल्यूमीनियम-मैग्नीशियम के साथ लेपित, और (ई) रंग लेपित कॉइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है), के आयात के मामले में महानिदेशक (व्यापार उपचार) प्रारंभिक निष्कर्षों में, जिसे अधिसूचना संख्या 22/01/2024- डीजीटीआर दिनांक 18 मार्च, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुचें हैं कि-

i. भारत में विषयगत वस्तुओं के आयात में हाल ही में, अचानक, तीव्र और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिससे विषयगत वस्तुओं के उत्पादकों को गंभीर क्षति हुयी है और होने कि आशंका है;

ii. ऐसी गंभीर परिस्थियाँ मौजूद हैं, जहाँ अनंतिम सुरक्षा उपायों को लागू करने में किये गए विलम्ब से ऐसी क्षति होगी, जिसकी भरपाई कर पाना कठिन होगा;

iii. अनंतिम सुरक्षा उपायों को तत्काल लागू करने कि आवश्यकता है,

और तदनुसार भारत में विषयगत वस्तुओं के आयात पर अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 10 और 14 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 ख की उप-धारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, महानिदेशक (व्यापार उपचार) के उपर्युक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 अथवा 7226 के अंतर्गत आने वाली विषयगत वस्तुओं पर, जब वे भारत में आयातित होती हैं , पर बारह प्रतिशत की दर से अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाती है।

2. नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पाद श्रेणियों पर, जब उनका आयात उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गयी तत्सम्बन्धी प्रविष्टि के अनुसार सीआईएफ आधारित आयात मूल्य पर या उससे अधिक मूल्य पर, कॉलम (5) में सम्बंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और उक्त तालिका के कॉलम (4) में सम्बंधित प्रविष्टि की माप की इकाई के अनुसार किया गया हो, पर कोई सुरक्षा शुल्क नहीं लगाया जायेगा यथा:

सारणी

क्र.सं. (1)	उत्पाद श्रेणी (2)	सीआईएफ आधार पर आयात मूल्य (3)	इकाई (4)	मुद्रा (5)
1.	हॉट रोल्ड कॉइल, शीट और प्लेटें,	675	मी टन	यूएसडी
2.	एचआर प्लेट मिल प्लेट्स	695	मी टन	यूएसडी
3.	कोल्ड रोल्ड कॉइल और शीट	824	मी टन	यूएसडी
4.	धातु लेपित स्टील कॉइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं, गैल्वेनियल सहित, जिंक या एल्यूमीनियम-जस्ता या जिंक-एल्यूमीनियम-मैग्नीशियम के साथ लेपित	861	मी टन	यूएसडी
5.	रंग लेपित कॉइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं	964	मी टन	यूएसडी

3. इस अधिसूचना में विहित कोई भी बात, चीन जन. गण. एवं वियतनाम के अलावा, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 (ख) की उप-धारा (2) के अंतर्गत विकासशील देशों के रूप में अधिसूचित देशों से होने वाले विषयगत वस्तुओं के आयात पर लागू नहीं होगी।

4. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया अनंतिम सुरक्षा शुल्क, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो सौ दिनों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा (जब तक कि इसे पहले ही रद्द, संशोधित या अधिक्रमित न कर दिया जाए) और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,

(i) विचाराधीन उत्पाद के दायरे में निम्नलिखित उत्पाद शामिल नहीं हैं:

क). कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरजीओ);

ख). कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएनओ) कॉइल एंड शीट्स;

ग). कोटिड - इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड स्टील;

घ). टिनप्लेट्स;

ङ). स्टेनलेस स्टील;

च). निकेल कोटिड/निकेल प्लेटिड कोल्ड रोल्ड स्टील;

छ). रबर कोटिड स्टील;

ज). इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड (ईजी) - जिंक निकेल कोटिड स्टील;

झ). बाई-मेटल स्टील / बाई-मेटल सैंडविच स्टील;

ञ). ब्रास कोटिड स्टील वायर;

ट). क्रूटोनाइट;

ठ). इनकोनेल;

ड). स्टेनलेस स्टील मदें;

ढ). अल्युमिनियम कोटीड स्टील;

ण). अल्युमिनियम सिलिकॉन कोटेड/हॉट डिप्ड अल्युमिनाइज्ड सिलिकॉन कोटिड स्टील;

त). हॉट रोल्ड क्लैड स्टील प्लेट;

थ). निकल प्लेटेड स्टील / निकल प्लेटेड स्ट्रिप;

द). कॉपर प्लेटेड स्टील;

ध). लैमिनेटिड इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड (ईजीआई);

न). कोबाल्ट प्लेटिड स्टील;

ऩ). सिल्वर प्लेटिड स्टील; और

प). टाइटेनियम क्लैड प्लेट्स;

(ii) सुरक्षा शुल्क की गणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में निर्दिष्ट है, और विनिमय दर के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तारीख उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के तहत आगम पत्र की प्रस्तुति की तारीख होगी; और

(iii) “सीआईएफ आधार पर आयात मूल्य” का अभिप्राय वह आंकलन योग्य मूल्य है जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अंतर्गत किया गया हो।

[फा. सं. 190354/42/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2025

No. 01/2025-Customs (SG)

G.S.R. 243(E).— Whereas, in the matter of import of "Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products", namely (a) Hot Rolled coils, sheets and plates, (b) Hot Rolled Plate Mill Plates, (c) Cold Rolled coils and sheets, (d) Metallic Coated Steel coils and sheets, whether or not profiled, including Galvanneal, Coated with Zinc or Aluminium-Zinc or Zinc-Aluminium-Magnesium, and (e) Colour Coated coils and sheets, whether or not profiled (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff headings 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 and 7226 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), the Director General (Trade Remedies) in his preliminary findings *vide* notification No. 22/01/2024-DGTR, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 18th March 2025, has provisionally concluded that :

i. there is a recent, sudden, sharp, and significant increase in imports of subject goods into India, causing and threaten to cause serious injury to the domestic industry/producers of subject goods;

ii. there exist critical circumstances, where any delay in application of provisional safeguard measures would cause damage which would be difficult to repair;

iii. there is a necessity for immediate application of provisional safeguard measures,

and has accordingly recommended the imposition of provisional safeguard duty on imports of the subject goods into India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8B of the Customs Tariff Act, read with rules 10 and 14 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Measures) Rules, 1997, the Central Government after considering the said findings of the Director General (Trade Remedies), hereby imposes on subject goods falling under tariff headings 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 and 7226 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, when imported into India, a provisional safeguard duty at the rate of twelve per cent *ad valorem*.

2. The safeguard duty shall not be imposed on the product categories as specified in the corresponding entry in column (2) of the Table below, when imported into India, at or above the import price on CIF basis as mentioned in the corresponding entry in column (3), in the currency as specified in the corresponding entry in column (5) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely :-

TABLE

Sl. No. (1)	**Product Category (2)**	**Import price on CIF basis (3)**	**Unit (4)**	**Currency (5)**
1.	Hot Rolled coils, sheets and plates	675	MT	USD
2.	Hot Rolled Plate Mill Plates	695	MT	USD
3.	Cold Rolled Coils and Sheets	824	MT	USD

4.	Metallic Coated Steel Coils and Sheets, whether or not profiled, including Galvanneal, Coated with Zinc or Aluminium-Zinc or Zinc-Aluminium-Magnesium	861	MT	USD
5.	Colour Coated coils and sheets, whether or not profiled	964	MT	USD

3. Nothing contained in this notification shall apply to imports of subject goods from countries notified as developing countries under sub-section (2) of section 8B of the Customs Tariff Act, other than China PR and Viet Nam.

4. The safeguard duty imposed under this notification shall be effective for a period of two hundred days (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation: For the purposes of this notification,

(i) The following products are excluded from the scope of subject goods:

a) Cold Rolled Grain Oriented Electrical Steel (CRGO);
b) Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel (CRNO) coils and sheets;
c) Coated - Electro Galvanized Steel;
d) Tinplate;
e) Stainless steel;
f) Nickel Coated / Nickel Plated Cold Rolled Steel;
g) Rubber Coated Steel;
h) Electro Galvanised (EG) – Zinc Nickel Coated Steel;
i) Bi-Metal Steel / Bi-Metal Sandwich Steel;
j) Brass Coated Steel Wire;
k) CRUTONITE;
l) INCONEL;
m) Stainless Steel Items;
n) Aluminium Coated Steel;
o) Aluminium Silicon Coated / Hot Dipped Aluminised Silicon Coated Steel;
p) Hot Rolled Clad Steel Plate;
q) Nickel Plated Steel / Nickel Plated Strip;
r) Copper Plated Steel;
s) Laminated Electro Galvanized (EGI);
t) Cobalt Plated Steel;
u) Silver Plated Steel; and
v) Titanium Clad Plates;

(ii) the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of the safeguard duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act; and

(iii) "Import price on CIF basis" means the assessable value as determined under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. 190354/42/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA